न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश SC/ST (PoA) Act, सिद्धार्थनगर।
उपस्थितः– मनोज कुमार तिवारी–I (एच०जे०एस०)

UPSD010005922017

SC ST Act/14/2017

राज्य---------- अभियोजक

बनाम

1. श्रीमती वकीला बानो पुत्र बहाजुल
साकिन मोहल्ला विजयनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

---अभियुक्ता

मु०अ०सं०–781/2016
धारा–504, 506 भा०दं०सं०
व धारा– 3(1)10 SC/ST Act
थाना– सिद्धार्थनगर , जनपद– सिद्धार्थनगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण मामला विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा अभियुक्ता श्रीमती वकीला बानो के विरूद्ध धारा 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)10 SC/ST (PA) Act के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने तथा न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् विचारण हेतु पेश हुआ।

2. वादिनी मुकदमा फूलमती पत्नी राजमती निवासी मो० विजयनगर न०पा०प० सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को सम्बोधित टाइपशुदा तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 28.09.2016 को शाम को 05.00 बजे जब वह बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो उसके मोहल्ले में ही रहने वाले किशोर पुत्र मोती के घर के सामने अभियुक्ता वकीला बानो ने उसे रोककर गाली देना शुरु कर दिया जिसपर चुपचाप वादिनी अपने घर आ गयी व घर वालों से घटना के बारे में बताया तो घर वालों ने कहा वकीला के घर जाकर उसके पति से शिकायत करो जिसपर जब वादिनी शिकायत करने वकीला के घर गयी, तो वकीला मारपीट करने पर उतारु हो गयी व वादिनी को एक थप्पड़ मारा व दौड़ा लिया तथा जब वादिनी अपने घर पहुँची ही थी कि वकीला बानो, उसके पति वजाहुल, उनका बड़ा लड़का गुल्लर उर्फ रशीद एकराय होकर उसके घर आकर गाली गलौज करने लगे व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा वादिनी के छोटे बेटे छविलाल को मरवाकर फेंक देने की धमकी देने लगे तथा झूठा फंसवा देने की भी धमकी दी जिसपर वादिनी ने मना किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे व जब छविलाल की पत्नी मंजू वादिनी को बचाने आयी तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे जिसपर गाँव वालों ने आकर बीच बचाव किया। तहरीर में यह भी उल्लिखित है कि उक्त घटना के कारण वादिनी के पति की तबीयत खराब हो गयी व रात 10.00 बजे उसके पति की ह्रदय गति रूकने से मृत्यु हो गयी जिसके कारण क्रियाकर्म में व्यस्त होने के कारण वादिनी विलम्ब से शिकायत दर्ज करा रही है।

3. वादिनी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिद्धार्थनगर में अभियुक्तगण वकीलाबानो, वजाहुल व गुल्लर उर्फ रसीद के विरूद्ध धारा 504, 506, 323, 452 भा०दं०सं० व 3(1)10 SC/ST (PA) Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग कायमी का इंद्राज थाने की जीडी सं० 32 समय 16.45 बजे पर दिनांक 05.10.2016 को दर्ज किया गया व क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थनगर को विवेचना सौंपी गयी।

4. क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा विवेचना प्रारम्भ कर पर्चा संख्या 01 लगायत 06 किता किया गया। वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कराया गया

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.13 16:31:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा वादिनी मुकदमा व स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। विवेचना के क्रम में वहाजुल व गुल्लर उर्फ रशीद की नामजदगी गलत पायी गयी तथा मात्र गाली गुप्ता दिये जाने व जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने का अपराध पाने के कारण जुर्म धारा 323, 452 भा0 दं0 सं0 को विलोपित किया गया तथा अभियुक्ता वकीला बानो के विरूद्ध मात्र धारा 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(10) एससी/एसटी के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2019 को अभियुक्ता वकीला बानो के विरूद्ध धारा 504, 506 भा०दं०सं० व धारा– 3(1)10 SC/ST Act के तहत आरोप विरचित किया। अभियुक्ता द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा परीक्षण की माँग की गयी।

6. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

क्रम सं०	साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
1.	पी०डब्लू०–1 &1A/1	आलोक	अनुश्रुत साक्षी
2.	पी०डब्लू०–2	मन्जू	चक्षुदर्शी साक्षी
3.	पी०डब्लू०–3	अंजनी नन्दन वत्स	चक्षुदर्शी साक्षी
4.	पी०डब्लू०–4	मो० अकमल खां	विवेचक

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये हैं:–

क्रम सं०	प्रपत्र का विवरण	प्रदर्श सं०	सत्यापनकर्ता का विवरण
1.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–6
2.	आरोपपत्र	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–6
3.	कायमी जीडी	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–7
4.	चिक एफआईआर	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–7
5.	तहरीर	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–1A/1

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् शेष अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 19.02.2022 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्ता द्वारा घटना के गलत होने एवं स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया किन्तु नियत तिथि दिनांक 24.02.2026 को अभियुक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

10. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 28.09.2016 को समय 05.00 बजे शाम को अभियुक्ता वकीला बानो द्वारा वादिनी मुकदमा फूलमती को रंजिशन भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वादिनी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया।

11. वादिनी फूलमती द्वारा दिनांक 02.10.2016 को पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को सम्बोधित टाइपशुदा शिकायती प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–5 प्रस्तुत करते हुए यह शिकायत की कि दिनांक 28.09.2016 को शाम को 05.00 बजे जब वह बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो उसके मोहल्ले में ही रहने वाले किशोर पुत्र मोती के घर के सामने अभियुक्ता वकीला बानो ने उसे रोककर गाली देना शुरु कर दिया जिसपर चुपचाप वादिनी अपने घर आ गयी व घर वालों से घटना के बारे में बताया तो घर वालों ने कहा वकीला के घर जाकर उसके पति से शिकायत करो जिसपर जब वादिनी शिकायत करने वकीला के घर गयी, तो वकीला मारपीट करने पर उतारु हो गयी व वादिनी को एक थप्पड़ मारा व दौड़ा लिया तथा वादिनी अपने घर पहुँची ही थी कि वकीला बानो,

उसके पति वजाहुल, उनका बड़ा लड़का गुल्लर उर्फ रशीद एकराय होकर उसके घर आकर गाली गलौज करने लगे व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा वादिनी के छोटे बेटे छविलाल को मरवाकर फेंक देने की धमकी देने लगे तथा झूठा फंसवा देने की भी धमकी दी तथा वादिनी के मना करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे व जब छविलाल की पत्नी मंजू वादिनी को बचाने आयी तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे जिसपर गाँव वालों ने आकर बीच बचाव किया। तहरीर में यह भी उल्लिखित है कि उक्त घटना के कारण वादिनी के पति की तबीयत खराब हो गयी व रात 10.00 बजे उसके पति की ह्रदय गति रूकने से मृत्यु हो गयी जिसके कारण क्रियाक्रम में व्यस्त होने के कारण वादिनी विलम्ब से शिकायत दर्ज करा रही है।

12. दौरान विचारण वादिनी फूलमती की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी के पुत्र आलोक को बतौर पीडब्लू–01A/01 प्रस्तुत कर तहरीर साबित करायी गयी है जिसमें आलोक ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "*का0 सं0–5 क तहरीर साक्षी को दिखाया गया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी द्वारा बताया गया कि यह तहरीर लिखाने मैं अपने माँ के साथ गया था। मेरी माँ ने टाइप करने वाले को बताकर प्रार्थना पत्र लिखवाया था। टाइप करने के बाद प्रार्थना पत्र पढकर बताया सुनाया था। और मेरे समक्ष मेरी माँ का नि0 अं0 लगवाया था। इस प्रार्थना पत्र को मैं लेकर अपने माँ के साथ कप्तान साहब को दिया था। इस प्रार्थना पत्र व नि0 अं0 की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।*" जिरह में भी साक्षी आलोक उपरोक्त ने यह स्पष्ट किया है कि दरखास्त उसकी माँ ने बोलकर लिखवाया था। तथा मुख्य परीक्षा में आलोक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दरखास्त टाइप कराने के बाद उसकी माँ का नि0 अं0 लगवाया गया था व उक्त प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया था।

13. अभियोजन साक्षी पीडब्लू–04 मो0 अकमल खां तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि तत्कालीन हे0 मु0 थाना सिद्धार्थनगर श्रीराम आशीष उनके अधीनस्थ कार्यरत थे जिनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को वे बखूबी जानते पहचानते हैं। इस प्रकार अभियोग कायमी की रपट का0 सं0–6 क को हे0 मु0 राम अशीष द्वारा तैयार किये जाने तथा सीसीटीएनएस पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का0 सं0–4 क/1 को तैयार कराये जाने के तथ्य को अभियोजन द्वारा साबित किया गया है।

14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि वादिनी द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को दिये गये टाइपशुदा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–5 के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0–781/2016 अन्तर्गत धारा 504, 506, 323, 452 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

15. महत्त्वपूर्ण यह है कि विवेचना के क्रम में विवेचक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, सदर, द्वारा वहाजुल व गुल्लर उर्फ रशीद की नामजदगी गलत पायी गयी तथा मात्र गाली गुप्ता दिये जाने व जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने का अपराध पाने के कारण जुर्म धारा 323, 452 भा0 दं0 सं0 को विलोपित किया गया तथा अभियुक्ता वकीला बानो के विरूद्ध मात्र धारा 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(10) एससी/एसटी के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

16. घटना को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से वादिनी के पुत्र आलोक ओ बतौर pw–1, बहू मंजू को बतौर pw–2 परीक्षित कराया गया है तथा स्वतंत्र साक्षी के रूप में अंजनी नन्दन वत्स को बतौर pw–3 प्रस्तुत कर परीक्षित किया गया है।

17. वादिनी के पुत्र आलोक ने बतौर पीडब्लू–01 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना करीब नौ साल पहले की है। *मैं मछली बाजार के पास बेल्डिंग का कार्य करता था। मेरी लड़की शाम को आकर बताई कि मेरी दादी को एक लड़की गाली दे रही* है। घर आने पर देखा कि वकीला बानो, उसका पति व उसका लड़का मेरी मां को पकड़कर अपने घर की ओर ले जा रहे थे, गाली–गुप्ता दे रहे थे, वकीला बानो अपनी लड़की को भगाने मेरे छोटे भाई छविलाल पर आरोप लगा रही थी। इसीलिए मारे–पीटे थे, जांच में सी०ओ० साहब मेरे बयान लिये थे। मेरी मां ने इस मुकदमें को लिखाया था, मेरी मां की मृत्यु हो चुकी है।" आलोक/ पीडब्लू–01 के द्वारा मुख्य परीक्षा में ही

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था बल्कि उसे उसकी पुत्री ने आकर घटना के विषय में बताया।

18. तहरीर प्रदर्श क–5 में भी वादिनी के पुत्र आलोक के घटना के समय मौके पर उपस्थित होने का कोई जिक्र नहीं है। आलोक/ पीडब्लू–01 ने जिरह में यह स्पष्ट कर दिया है कि "*जो बयान मैं आज दे रहा हूँ, मेरी लड़की ने मुझे आकर बताया था। जो मेरी लड़की ने बताया था, वही बयान मैं आज दे रहा हूँ।*" अतः स्पष्ट है कि आलोक/ पीडब्लू–01 ने घटना को स्वयं नहीं देखा है बल्कि अपनी पुत्री के बताये अनुसार बयान दे रहा है। अतः आलोक का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।

19. तहरीर में वादिनी ने यह उल्लेख किया है कि जब अभियुक्ता उसके साथ मारपीट करने लगी तो उसे बचाने उसकी बहू छविलाल की पत्नी मंजू मौके पर आ गयी व मंजू के साथ भी मारपीट की गयी। मंजू ने बतौर पीडब्लू–02 अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*दिनांक 28.09.2016 को शाम को बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। वकीला बानो मेरी सास को देखकर गाली गुप्ता देते हुए घर तक चली आयी, कह रही थी कि मेरी दोनों लड़कियों को इनका लड़का छविलाल कहा भगाया मेरे सास ने कहा कि वह पहले भी भागी थी, मिली तो वह मेरे लड़के को भागने की बातें नहीं बताई थी, फिर वह दोनों कहीं भागी हैं, तो उसमें मेरे लड़के का क्या दोष है, इस पर वह जातिसूचक शब्दों की गाली देते हुए बोली कि अगर मेरी लड़कियां नहीं मिली तो तुम्हारा और तुम्हारे लड़के का खैर नहीं है। मोहल्ले वाले समझा, बुझाकर हटाये, वकीला बानो के पति व उनके लड़के ने आकर गाली व धमकी दिये थे, विवेचक ने मेरा बयान लिया था।*"

20. यह स्पष्ट है कि मंजू/ पीडब्लू–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्ता अथवा उसके परिवारीजन ने उसके साथ गाली–गलौज या मारपीट की बल्कि वह मात्र यह कहती है कि अभियुक्ता वकीला बानो उसकी सास को देखकर गाली देते हुए घर तक चली आयी व यह उलाहना दे रही थी कि छविलाल ने अभियुक्ता की दोनों लड़कियों को भगाया है, तथा वादिनी द्वारा यह कहने पर कि अभियुक्ता की बेटियां स्वयं भागी हैं, इसमें उसके बेटे का कोई दोष नहीं है, वादिनी को अभियुक्ता ने पुनः गाली–गलौज देना शुरु कर दिया। उक्त तथ्य में कितनी सत्यता है, इस जानने हेतु मंजू/ पीडब्लू–02 द्वारा जिरह में किये गये कथन का अवलोकन महत्त्वपूर्ण है।

21. मंजू/ पीडब्लू–02 ने जिरह में कथन किया है कि "*वकीला की पुत्री घर से चली गयी थी। उसे भगाने के सम्बन्ध में मेरे परिवार के ऊपर मुकदमा लिखा गया था। जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था वो मेरे पति हैं। जब वकीला ने मेरे पति के ऊपर मुकदमा लिखाया तो हम लोगों ने भी वकीला के ऊपर मुकदमा लिखा दिया।*" मंजू/ पीडब्लू–02 द्वारा जिरह में किये गये उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता वकीला की पुत्री घर से बिना किसी को बताए चली गयी थी व मिल नहीं रही थी जिस पर अभियुक्ता द्वारा वादिनी के पुत्र व साक्षी मंजू के पति छविलाल पर उन्हें भगाने के आरोप लगाये गये व न केवल आरोप लगाये गये बल्कि छविलाल के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया तथा इसी मुकदमें की रंजिशवश वादी पक्ष ने अभियुक्ता वकीला के विरूद्ध मुकदमा लिखा दिया।

22. विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के क्रम में एकत्रित दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले की अभियुक्ता वकीला बानो द्वारा दिनांक 17.08.2016 को अपनी दो नाबालिग पुत्रियों को वादिनी के पुत्र छविलाल द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.10.2016 को दर्ज कराई गई है। स्पष्ट है कि दिनांक 17.08.2016 से पुत्रियों के गायब होने के कारण अभियुक्ता वकीला बानो व्यथित व परेशान रही होगी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जब वादिनी को लगा कि उसके पुत्र छविलाल के विरूद्ध अभियुक्ता मुकदमा दर्ज कराने वाली है, वादिनी ने पुलिस कप्तान को अपने पति की हृदयाघात से हुई मृत्यु को अभियुक्ता की प्रताड़ना का एक कारण दर्शाते हुए अभियुक्ता के विरूद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया।

23. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताये जा रहे अभियोजन साक्षी अंजनी नन्दन वत्स को बतौर पीडब्लू–03 परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "*घटना दिनांक 28.09.2016 की है। मैं उस दिन अपने मोहल्ले के राजाराम से मिलने उनके घर जा रहा*

था। घर के पास सड़क पर राजाराम की औरत को वकीला बानो अपनी लड़कियों के भगाये जाने का आरोप गोलई उर्फ छविलाल के ऊपर लगाते हुए आपस में वाद–विवाद कर रही थी और गाली गुप्ता भी दे रही थी। इसी तरह वकीला बानो राजाराम की औरत को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित भी कर रही थी और यह भी कह रही थी कि *आप मां, बेटा चाहे जहां से मेरी लड़की को लाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। उक्त घटना मेरे सामने घटित हुई थी। मैंने बीच–बचाव भी किया था*। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

24. साक्षी पीडब्लू–03 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में वकीला बानो द्वारा अपनी लड़कियों के भगाये जाने का आरोप वादिनी के पुत्र छविलाल पर लगाते हुए वादिनी से वाद–विवाद करने का कथन किया है तथा जिरह में कथन किया है कि "*मैंनें पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोनों महिलाओ में कहासुनी हो रही थी। वकीला बानो कह रही थी कि गोलई ने मेरी लड़की को भगा दिया है। उसे खोजकर ले आओ। मारपीट नहीं हुआ था। मौके पर कुल कितने लोग थे मैं गिना नहीं था। इसलिए नहीं बता सकता हूँ। वकीला ने कहा मैं तुम्हारी चमरई छुड़ा देंगे। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। ऐसे भाषा का प्रयोग किया था, जिसे मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे सामने वाद–विवाद के अलावा कोई घटना नहीं हुई थी*।"

25. अतः साक्षी पीडब्लू–03 की जिरह से भी मात्र अभियुक्ता द्वारा अपनी गुमशुदा पुत्रियों के संदर्भ में उन्हें भगाये जाने की आशंका वादिनी के पुत्र पर होने के कारण मात्र वादिनी से उलाहना दिए जाने और अपनी पुत्रियों को खोजकर लाने के सदर्भ में कहासुनी की जाने का ही तथ्य प्रकट होता है तथा जान से मारने की धमकी अथवा गाली–गलौज के तथ्य स्पष्ट रूप से साबित नहीं हैं। *The Hon'ble Supreme Court in Vikram Johar v. State of Uttar Pradesh, (2019) 4 SCC (Cri) 795 has categorically held that mere abusive language or casual threats, without any intention to cause alarm or provoke breach of peace, would not attract Sections 504 or 506 I.P.C. It has been observed that the complaint must disclose the necessary ingredients of intentional insult with intent to provoke breach of peace, and criminal intimidation with intent to cause alarm; otherwise continuation of proceedings would amount to abuse of process of law.*

26. स्पष्ट है कि वादिनी की मृत्यु हो चुकी है तथा वादिनी की बहू ने अपने साथ अभियुक्ता द्वारा किसी प्रकार की गाली–गलौज अथवा मारपीट किये जाने का कोई कथन बतौर पीडब्लू–02 अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है व जबकि यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अभियुक्ता वादिनी को अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी गुमशुदा पुत्रियों की खोजबीन के कारण वादिनी से विवाद कर रही थी, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्ता ने यह जानते हुए कि वादिनी अनुसूचित जाति की है, उसे जानबूझकर अपमानित किया बल्कि साक्षी मंजु/pw–2 के जिरह में दिए बयान से स्पष्ट है कि मात्र अभियुक्ता द्वारा वादिनी के पुत्र के विरुद्ध अपनी पुत्रियों को भगा ले जाने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराए जाने की आशंका पर अपने बचाव हेतु अभियुक्ता के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Hitesh Verma v. State of Uttarakhand, 2020 SCC OnLine SC 907, decided on 05.11.2020 के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि "*All insults or intimidations to a person will not be an offence under the Act unless such insult or intimidation is on account of victim belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.*"

28. *ऐसे में जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश बनाम पाटन जमाल वली, LL2021SC231, के मामले में भी यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गई है कि अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार से निवारण अधिनियम के प्रावधान किसी आपराधिक मामले में तभी आकर्षित होंगे जबकि जातिगत पहचान अपराध की घटना कारित करने हेतु एक आधार के रूप में होना स्पष्ट हो। यह भी स्पष्ट* है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1)(x)एस. सी./एस. टी. (पीओए) ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया है परंतु उक्त धारा, दिनांक 26/01/2016 को ही संसोधित की जा

चुकी थी जिससे स्पष्ट है कि धारा 3(1)(x)एस. सी./एस. टी. (पीओए) ऐक्ट घटना की तिथि दिनांक 20/03/2016 को प्रभावी ही नहीं थी।

29. अतः अभियुक्ता श्रीमती वकीला बानो धारा 504,506 भा०दं०सं० व 3(1)10 SC/ST (PA) Act के अपराध से दोषमुक्त किये जाने जाने योग्य है।

आदेश

30. प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता श्रीमती वकीला बानो को धारा 504,506 भा०दं०सं० व 3(1)10 SC/ST (PA) Act के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

31. अभियुक्ता जमानत पर है। अभियुक्ता की जमानत निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

32. अभियुक्ता द्वारा मु० पच्चीस हजार रूपये का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू अन्तर्गत धारा 437ए द०प्र०सं० अपीलीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार दाखिल करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

33. निर्णयादेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनॉकः–13–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736

34. आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनॉकः–13–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736